उत्तर प्रदेश शासन
उपभोक्ता संरक्षण एवं बांट माप अनुभाग-2
संख्या-24/2015/सीपी 508/84-2-2015-सीपी 6/2014
लखनऊ : दिनांक : 16 सितम्बर, 2015

कार्यालय ज्ञाप

श्री जय प्रकाश सिंह-1 पुत्र स्व0 श्री त्रिभुवन सिंह, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (सेवानिवृत्त), बी-11, डी0एम0 कम्पाउण्ड, सिविल लाइन्स, कानपुर नगर-208001 की नियुक्ति शासन की अधिसूचना संख्या-12/2015/सीपी 329/84-2-2015-सीपी 6/2014, दिनांक 01 जून, 2015 द्वारा जिला उपभोक्ता फोरम, हमीरपुर में अध्यक्ष के पद पर की गयी थी।

2. निबन्धक, राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, उ0प्र0, लखनऊ के पत्र संख्या-2015/एससीडीआरसी/अधि/27/15, दिनांक 14 जुलाई, 2015 द्वारा अवगत कराया गया कि श्री जय प्रकाश सिंह-1 के भाई श्री रामेन्द्र कुमार सिंह, जो वर्तमान में सामान्य सदस्य के पद पर जिला फोरम, सोनभद्र में कार्यरत हैं, ने अपने पत्र दिनांक 30 जून, 2015 द्वारा यह सूचना दी गयी है कि श्री जय प्रकाश सिंह-1 का स्वर्गवास दिनांक 01.06.2015 को हो गया है। इस निमित्त उन्होंने राजीव गांधी कैंसर इस्टीटयूट एण्ड रिसर्च सेंटर, दिल्ली द्वारा निर्गत किया गया मृत्यु प्रमाण पत्र की प्रति उपलब्ध करायी गयी है। निबन्धक, राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, उ0प्र0, लखनऊ द्वारा श्री जय प्रकाश सिंह-1 की अध्यक्ष, जिला उपभोक्ता फोरम, हमीरपुर की नियुक्ति को निरस्त किये जाने का अनुरोध किया गया है।

3. अत: उपर्युक्त के दृष्टिगत सम्यक् विचारोपरान्त श्री जय प्रकाश सिंह-1 पुत्र स्व0 श्री त्रिभुवन सिंह, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (सेवानिवृत्त), बी-11, डी0एम0 कम्पाउण्ड, सिविल लाइन्स, कानपुर नगर-208001 की शासन की अधिसूचना संख्या-12/2015/सीपी 329/84-2-2015-सीपी 6/2014, दिनांक 01 जून, 2015 द्वारा जिला उपभोक्ता फोरम, हमीरपुर में अध्यक्ष के पद पर की गयी नियुक्ति को उनके मृत्यु के फलस्वरूप निरस्त करने की श्री राज्यपाल एतद्द्वारा सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

सुधीर गर्ग
प्रमुख सचिव।

पृष्ठांकन संख्या-24/2015/ 508/84-2-2015-सीपी 6/2014, तददिनांक
प्रतिलिपि - निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

(1) निबन्धक, राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, उ0प्र0, सी-1, विक्रान्तखण्ड-1, गोमतीनगर, लखनऊ।
(2) जिलाधिकारी, हमीरपुर।
(3) कोषाधिकारी, हमीरपुर।
(4) कार्यालय, जिला उपभोक्ता फोरम, हमीरपुर (द्वारा निबन्धक, राज्य आयोग)।
(5) श्री रामेन्द्र कुमार सिंह, सामान्य सदस्य, जिला उपभोक्ता फोरम, सोनभद्र (द्वारा निबन्धक, राज्य आयोग)।
(6) गार्ड बुक।

आज्ञा से,
राजेन्द्र मणि त्रिपाठी
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in